संख्या–सा–3–1445/दस–7040/79

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 3 जून, 1980

विषय:––सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का राशिकरण––स्वास्थ्य परीक्षा ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम–7 में प्राविधान के अनुसार यदि कोई राजकीय पेंशनर अपनी पेंशन के एक भाग के राशिकरण के हेतु आवेदन-पत्र देता है तो उसे राशिकरण की स्वीकृति उसी दशा में प्रदान की जाती है जबकि सक्षम चिकित्साधिकारी ने पेंशनर के स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर उसे राशिकरण के लिए उपयुक्त (फिट) घोषित कर दिया हो । उपर्युक्त प्रक्रिया को सरलीकृत एवं उदारीकृत करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश दिये हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष के भीतर पेंशन के राशिकरण के लिए आवेदन करे, तो उसे उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम–4 सपठित उत्तर प्रदेश लिबराईज्ड पेंशन रूल्स, 1961 के नियम–9 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के नियम–8 में निर्धारित सीमाओं के अधीन रहते हुए पेंशन के राशिकृत मूल्य की अदायगी के प्रयोजन के लिए डाक्टरी जांच करवानी आवश्यक नहीं होगी ।

2––यह आदेश अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के अतिरिक्त ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होंगे जो ऐच्छिक, अनिवार्य अथवा अशक्तता पेंशन प्राप्त करते हों ।

3––उपर्युक्त प्रस्तर–1 के आदेश उपर्युक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित पेन्शनरों पर अथवा अन्य ऐसे पेंशनरों पर नहीं लागू होंगे जो अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के एक वर्ष के बाद पेंशन की राशिकरण के लिए आवेदन करेंगे ।

4––इन नियमों के अधीन पेंशन के राशिकरण के लिए आवेदन, अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृत किए जाने के उपरान्त ही किया जायेगा और यह राशिकरण सभी प्रकार से अन्तिम होगा, अर्थात् सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को उसका आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण प्राप्त हो जाने की तिथि से राशिकृत मूल्य पाने का हकदार हो जायेगा और आवेदन-पत्र वापिस लेने की छूट न होगी ।

5––यह आदेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे । यह आदेश उन अनिस्तारित मामलों पर भी लागू होंगे जहां पेंशनर ने सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष के भीतर ही राशिकरण का आवेदन-पत्र दिया हो ।

6––उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स को इन आदेशों द्वारा संशोधित किया गया समझा जायेगा । औपचारिक संशोधन यथा समय अलग से किया जायेगा । इन आदेशों के जारी होने के बाद सभी पेंशनर पेंशन के राशिकरण का प्रार्थना-पत्र संलग्न प्रपत्र पर देंगे ।

कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें ।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद,
सचिव ।

संख्या–सा–3–1445/(1)दस–7040-78

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—समस्त सचिव, उ0 प्र0 शासन ।

2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3—विधान सभा सचिवालय ।

4—विधान परिषद् सचिवालय ।

5—राज्यपाल सचिवालय ।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

कुलदीप नारायण भटनागर,

उप सचिव ।

———

संख्या–सा–3–1445/(1)दस–7040-78

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—समस्त सचिव, उ0 प्र0 शासन ।

2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3—विधान सभा सचिवालय ।

4—विधान परिषद् सचिवालय ।

5—राज्यपाल सचिवालय ।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

कुलदीप नारायण भटनागर,

उप सचिव ।